CGDH010008492022

Presented on : 05-09-2022
Registered on : 18-10-2022
Decided on : 14-02-2023
Duration : 3 months 27 days

# न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), धमतरी
## जिला धमतरी (छ०ग०)

(पीठासीन अधिकारी–के.एल. चरयाणी)

वि.दां.प्र.(विद्युत अधिनियम)क्र. 63/2022
संस्थित दिनांक–05/09/2022

**छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित संभाग कुरूद, उप संभाग भखारा**
द्वाराः– सहायक अभियंता वेदप्रकाश कन्नौजे,
छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित उप संभाग भखारा, संभाग कुरूद
तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) ..... **परिवादी**

*प्रति*

**हरीश चन्द्र चन्द्राकर** पिता रामकिसुन चन्द्राकर, उम्र 57 वर्ष
निवासी ग्राम भेण्डरा वार्ड क्र. 12 दाउ पारा,
तहसील भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.) ..... **अभियुक्त**

**निर्णय**

**(दिनांक 14/02/2023 को परिदत्त)**

अभियुक्त पर **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135** के अपराध का यह आरोप है कि उसने दिनांक 12/03/2021 को ग्राम भेण्डरा वार्ड क्र. 12 दाउ पारा, तहसील भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.) में निम्न दाब विद्युत लाईन में अवैध रूप से 8 sqmm का नीले एवं लाल रंग का पीवीसी वायर से डायरेक्ट हुकिंग कर घरेलू विद्युत उपकरण में चोरी से विद्युत आपूर्ति कर अवैध रूप से 1539 वाट विद्युत उर्जा का उपभोग बेईमानीपूर्वक करके **10,836=00 रूपये (अक्षरीः दस हजार आठ सौ छत्तीस रूपये)** के मूल्य की

क्रमशः..... 2/–

KANWAR LAL CHARYANI
Digitally signed by KANWAR LAL CHARYANI
Date: 2023.02.14 13:36:21 +0530

विद्युत उर्जा की चोरी की ।

**2.** यह विशेष दांडिक प्रकरण, छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित उप संभाग भखारा, संभाग कुरूद की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र से पंजीबद्ध किया गया हे। परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्त ने दिनांक 12/03/2021 को ग्राम भेण्डरा वार्ड क्र. 12 दाउ पारा, तहसील भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.) में निम्न दाब विद्युत लाईन में अवैध रूप से 8 sqmm का नीले एवं लाल रंग का पीवीसी वायर से डायरेक्ट हुकिंग कर घरेलू विद्युत उपकरण में चोरी से विद्युत आपूर्ति कर अवैध रूप से 1539 वाट विद्युत उर्जा का उपभोग बेईमानीपूर्वक करके **10,836=00 रूपये (अक्षरीः दस हजार आठ सौ छत्तीस रूपये)** के मूल्य की विद्युत उर्जा की चोरी की जिस पर से सहायक अभियंता द्वारा गवाह एवं अभियुक्त के समक्ष स्थल निरीक्षण पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही घटनास्थल से वायर जप्त कर उनकी प्रतियां अभियुक्त को प्रदान की गई एवं उक्त दस्तावेजों पर अभियुक्त व साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये एवं अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पेश कर **धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

**3.** अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत आरोप विरचित किये जाने पर उसने अपराध करना स्वीकार नहीं किया और उसकी प्ली दर्ज की गयी।

**4.** अभियुक्त ने व्यक्त किया कि उसने इस प्रकरण में विद्युत विभाग में वांछित राशि जमा कर दिया है, अतः प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकरण में **कार्यालय सहायक अभियंता(विद्युत सुररक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन उप संभाग धमतरी से पत्र क्रमांक/राजीनामा/तेरह/798/सहा.अभि.(वि.सु.)/धमतरी, दिनांक**

क्रमशः..... 3/—

KANWAR LAL CHARYANI
Digitally signed by KANWAR LAL CHARYANI
Date: 2023.02.14 13:36:45 +0530

**06/02/2023** प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत श्री एस.एल. साहू, सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन उपसंभाग धमतरी ने अभियुक्त की ओर से **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135** के तहत राजीनामा अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं निर्धारित राशि **10,836/–रूपये** दिनांक 30/01/2023 को जमा करने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति इस न्यायालय की ओर प्रेषित की गयी है जिसमें दर्शित किया गया है कि अभियुक्त ने धारा 152(1) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि **8,000/–रूपये (अक्षरीः आठ हजार रूपये)** चालान क्रमांक–154212995/16 के माध्यम से दिनांक 03/02/2023 को जमा कर दिया है। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है और इसलिए मुख्य विद्युत निरीक्षक ने अभियुक्त को राजीनामा की अनुमति प्रदान की है। राजीनामा के संबंध में **वेदप्रकाश कन्नौजे (परि.सा.1)** का कथन लेखबद्ध किया गया।

**5.** इस प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया है कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट राशि जमा करने के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षक ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के लिए विधिवत अनुमति प्रदान की दी है इस स्थिति के प्रकाश में आगे की कार्यवाही परिवादी नहीं चाहता। **विद्युत अधिनिम, 2003 की धारा 152** के तहत आरोपित अपराध राजीनामा योग्य है तथा प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत है। राजीनामा के तथ्यों की पुष्टि परिवादी साक्षी **वेदप्रकाश कन्नौजे (परि.सा.1)** के कथन से भी होती है। अतः इस विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त**

क्रमशः..... **4/–**

KANWAR LAL CHARYANI
Digitally signed by KANWAR LAL CHARYANI
Date: 2023.02.14 13:37:00 +0530

कर स्वतंत्र करता हूं।

**6. दोषमुक्त** का मुचलका दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 437क** के उपबंध द्वारा अपेक्षित अनुसार इस निर्णय दिनांक से **6** माह तक प्रभावी रहेगा, उसके पश्चात भारमुक्त माना जायेगा।

**7.** प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

**8.** निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में परिवादी/अभियोजन पक्ष को प्रदाय की जाये।

**स्थानः धमतरी**
**दिनांकः 14/02/2023**

**(के.एल.चरयाणी)**
**विशेष न्यायाधीश**
**(विद्युत अधिनियम)**
**धमतरी(छ.ग.)**

KANWAR LAL CHARYANI
Digitally signed by KANWAR LAL CHARYANI
Date: 2023.02.14 13:37:15 +0530